पत्रांक –1प्रा0आ0–36 / 2002 / 728 / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह,
अपर सचिव

सेवा में

सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

FAX

पटना–15, दिनांक– 20/2/13.

विषयः– **विभागीय पत्रांक 1293 / आ0प्र0 दिनांक–17.04.2009 द्वारा संसूचित वर्ष 2010–15 तक के लिए दिनांक–01.04.2012 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों को भारत सरकार द्वारा (SDRF/NDRF) निर्धारित साहाय्य मानदर के क्रम सं0–6 (ii) एवं (iii) में संशोधन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 32–7 / 2011–एन0डी0एम0–I दिनांक– 16.01.2012 द्वारा राज्य आपदा रिस्पौंस कोष / नेशनल डिजास्टर रिस्पौंस फंड के व्यय हेतु संसूचित मानदर को दिनांक–19.03.2012 को संपन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदन के पश्चात विभागीय पत्रांक 1293 / आ0प्र0 दिनांक–17.04.2012 द्वारा दिनांक–01.04.2012 के प्रभाव से राज्य में लागू किया गया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 32–3 / 2012–एन0डी0एम0–I दिनांक–28.09.2012 द्वारा पूर्व में संसूचित मानदर के कम संख्या–6 (ii) एवं (iii) में भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा किये गये संशोधन को दिनांक–13.02.2013 को संपन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में उक्त संशोधन को राज्य में दिनांक–01.04.2013 के प्रभाव से निम्नानुसार लागू करने का निर्णय लिया गया हैः–

" Provision of fodder/feed concentrate and water supply in cattle camps", accordingly, the following amendment would be made against earlier provision as (i) " the default period for assistance upto 30 days, which may be extended upto 60 days, in case of severe drought up to 90 days". (ii) for period beyond 90 days, the concerned state Government should draw a separate plan with concerned Central Ministries and Planning Commission etc. for mitigating this situation."

हिन्दी पाठः–

''पशु शिविरों में चारे / फीड एवं जलापूर्ति का प्रावधान'' पूर्व के प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन किया जाना हैः–

(i) अनुदान के लिए समय सीमा 30 दिनों से 60 दिनों तक तथा भीषण सूखादि आपदा की स्थिति में 90 दिनों तक विस्तारित किया जा सकेगा।

(ii) 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए संबंधित राज्य सरकार केन्द्रीय मंत्रालय तथा योजना आयोग के साथ उत्पन्न स्थिति के न्यूनीकरण के लिए अलग योजना तैयार करेगी।

विभागीय पत्रांक 1293/आ0प्र0 दिनांक–17.04.2012 द्वारा संसूचित साहाय्य मानदर के शेष प्रावधान यथावतः रहेंगे।

विश्वासभाजन

(राजीव कुमार सिंह)
अपर सचिव